रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 545] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 26, 1988/कार्तिक 4, 1910

No. 545] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 26, 1988/KARTIKA 4, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 1988

अधिसूचना

का. आ. 984(अ).—केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 में,—

(1) नियम 1 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) इनका विस्तार मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कांडला, मद्रास, मरमुगाओ और विशाखापत्तनम के महापत्तनों तक, जहां डॉक श्रम बोर्ड है।"

(2) नियम 3 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) (क) डॉक कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति डाक कर्मकारों के संघों प्रतिनिधित्व करने वाली है लिखित के आधार पर की जाएगी, जिसे डाक कर्मकारों के संघों के सदस्यों को श्रम मंत्रालय द्वारा यथासत्यापित अवधि अंतिम संख्या के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(ख) डॉक कर्मकारों के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति, डॉक कर्मकारों के नियोजकों के संगमों के परामर्श से, उक्त संगमों में डॉक कर्मकार के नियोजकों द्वारा सम्हाले गए स्थोरा की कुल मात्रा को ध्यान में रखते हुए, की जाएगी।

(ग) पोत परिवहन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की नियुक्ति महानिदेश, पोत-परिवहन, मुम्बई के परामर्श से, ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें भारतीय राष्ट्रीय पोत स्वामी संगम 1 कलकत्ता में पोत परिवहन के हितों के संगम, और समुद्रपार पोत परिवहन हितों के संगम द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया हो।

(3) नियम 4 के उप-नियम (5) के खंड (5) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—"परन्तु किसी सदस्य को इस खंड के अधीन अपना पद रिक्त कर दिया तब तक नहीं समझा

जाएगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता और केन्द्रीय सरकार सदस्य द्वारा पद को ऐसे छोड़ने के कारण लेखबद्ध नहीं किए जाते।"

(4) नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"7. बोर्ड की बैठकें—(1) बोर्ड की बैठक, विशेष से भिन्न, प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार हुआ करेगी।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, स्वविवेक से और बोर्ड के तीन से अन्यून सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(3) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष यदि नियुक्त किया गया हो, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है या यदि कोई उपाध्यक्ष नहीं है तो उपस्थित सदस्य अपने में से एक को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित कर लेंगे और उस बैठक में इस प्रकार निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) बोर्ड की साधारण बैठक बुलाने के लिए कम से कम पन्द्रह दिन की और बोर्ड की विशेष बैठक बुलाने के लिए कम से कम सात दिन की सूचना दी जाएगी।

(5) बोर्ड की बैठक संबंधित महापत्तनों के पत्तन परिसरों में होगी सिवाय ऐसे स्थानों के जिसके संबंध में बोर्ड द्वारा लेखबद्ध कारणों से किसी अन्य स्थान पर बैठक करने का अग्रिम विनिश्चय किया गया हो।

(6) बोर्ड की किसी बैठक में किसी कारबार का संव्यवहार तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसी बैठक में कम से कम एक-तिहाई सदस्य उपस्थित न हों।

(7) बोर्ड की किसी बैठक के संबंध में कार्यसूची और उस संबंध में ज्ञापक टिप्पणियां, यदि कोई हो, बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले सदस्यों में परिचालित कर दी जाएगी :

परन्तु किसी विशेष बैठक दशा में ऐसी कार्य सूची और ज्ञापक टिप्पणियां बैठक की तारीख से कम से कम एक दिन पहले परिचालित की जाएंगी।

(8) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, बोर्ड की किसी बैठक में, जिसके अन्तर्गत विशेष बैठक भी है, विमर्श के लिए कोई मद, जो कार्यसूची में सम्मिलित नहीं है, स्वविवेक से सम्मिलित कर सकेगा यदि ऐसी मद, उसकी राय में पर्याप्त महत्व की या अत्यावश्यक है और उसे बोर्ड की किसी परवर्ती बैठक तक बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए मुल्तवी नहीं रखा जा सकता।

(9) यदि बोर्ड के विनिश्चय के लिए कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से मतदान द्वारा और मतों के बराबर होने की दशा में ऐसी बैठक के पीठासीन अधिकारी का मत समर्थक या निर्णायक मत होगा।

(10) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, यदि नियुक्त किया गया हो, किसी व्यक्ति को बोर्ड की किसी बैठक में उपस्थित होने और विचार विमर्श में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकेगा। किन्तु ऐसे व्यक्ति को मतदान का हक नहीं होगा।

(11) बोर्ड की प्रत्येक बैठक में हुई कार्यवाही का कार्यवृत्त, एक ऐसी बही में अभिलिखित किया जाएगा, जिसका उपबंध बोर्ड करेगा और जिस पर ऐसी बैठक का पीठासीन अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से हस्ताक्षर करेगा और कार्यालय समय के दौरान यह बही किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

(12) बैठक का पीठासीन अधिकारी बैठक को किसी ऐसी परवर्ती तारीख के लिए स्थगित कर सकेगा, जिसकी घोषणा बैठक में करदी जाएगी और जब ऐसी घोषणा की जाती है, तो इसकी सूचना बैठक में अनुपस्थित सदस्यों को भी बैठक की तारीख से कम से कम तीन दिन पहले भेज दी जाएगी।

[फा. सं. एल. बी. 13023/5/88-यू. एस. (एल.)]
बी. शंकरलिंगम, निदेशक

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 26th October, 1988

NOTIFICATION

S.O. 984 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962.—

(i) For sub-rule (2) of rule 1, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) They extend to the major ports of Bombay, Calcutta, Cochin, Kandla, Madras, Mormugao and Visakhapatnam which have Dock Labour Boards".

(ii) for sub-rule (3) of rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) (a) The members representing the dock workers shall be appointed on the basis of the representative character of the unions of dock orkwers, as determined by the latest available figures of membership of unions of dock workers as verified by the Ministry of Labour.

(b) The members representing the employers of dock workers shall be appointed, in consultation with the associations of employers of dock workers, taking into account the total quantum of cargo handled by the emplyers of dock workers in the said associations.

(c) the members representing the shipping companies shall be appointed from amongst the persons nominated by the Indian National hipowners Association, the Association of Shipping Interests in Calcutta and the overseas Shipping Interests, in consultation with Director General of Shipping, Bombay.";

(iii) to clause (v) of sub-rule (5) of rule 4, the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that no member shall be deemed to have vacated his office under this clause, unless he is given a resonable opportunity of being heard and the Central Government records its reasons in writing for such vacation of office by the member.";

(iv) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. (1) Meetings of the Board—A meeting of the Board, other than a special meeting, shall be held at least once in every two months.

(2) The Chairman or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may, at his discretion and shall upon a written request of not less than three members of the Board, call a special meeting of the Board.

(3) The Chairman and in his absence the Deputy Chairman, if appointed, shall preside over the meetings of the Board :

Provided that if the Chairman or the Deputy Chairman is absent, or if there is no Deputy Chairman, the members present shall elect one ofthem to preside over the meeting and the member so elected shall at that meeting exercise all the powers of the Chairman.

(4) At least fteen days' notice shall be given for convening an ordinary meeting of the Board and at least seven days' notice shall be given for convening a special meeting of the Board.

(5) A meeting of the Board shall be held at port premises of the respective major ports, except where it is decided in advance by the Board, for reasons to be recorded in writing, to hold any meeting at any other place.

(6) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at least one-third of the members are present in such meeting.

(7) The agenda and notes of memoranda thereon, if any, for any meeting of the Board shall be circulated to the members at least three days before the date of the meeting :

Provided that in the case of a special meeting, such agenda and notes of memoranda shall be circulated at least one day before the date of the meeting.

(8) The Chairman or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may at his discretion, include for discussion at any of the meetings of the Board, including a special meeting, any item not included in the agenda, it the same is, in his opinion, of sufficient importance or urgency and cannot be held over for the consideration by the Board at any subsequent meeting thereof.

(9) If any question arises for the decision of the Board it shall be decided by majority of the members present and voting, and in case of equality of votes, the presiding officers of such meeting shall have a second or a casting vote.

(10) The Chairman or in his absence the Deputy Chairman, if appointed, may invite any person to be present at any meeting and to participate in the discussion but such a person shall not be entitled to vote.

(11) The minutes of the proceedings at each meeting of the Board shall be recorded in a book to be provided by the Board, which shall be signed as soon as practicable by the presiding officer of such meeting and shall be open to inspection by any member during office hours.

(12) The presiding officer of a meeting may adjourn the meeting to a later date, which may be announced at the meeting and where such announcement is made, intimation shall also be sent to the members absent at the meeting at least three days before the date of the meeting".

[F. No. LB-13022|5|88-US (L)]
V. SANKARALINGAM, Director

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988